मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक अगस्त, 2018

कमांक एफ 12–08/2018/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. अनुसईया गवली, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शाजापुर की तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जिला अलीराजपुर में पदस्थापना के दौरान उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में कलेक्टर, अलीराजपुर के पत्र दिनांक 22.10.2013 द्वारा उन्हें कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर उनका प्रतिवाद उत्तर चाहा गया था । तत्संबंध में डॉ. अनुसुईया गवली से प्राप्त उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कलेक्टर, अलीराजपुर द्वारा प्रकरण आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर को प्रेषित किये जाने पर उनके पत्र दिनांक 16.01.14 द्वारा डॉ. अनुसुईया गवली को आरोप–पत्रादि जारी किये गये।

2/– आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा डॉ. अनुसईया गवली, तत्कालीन प्रभारी सीएमएचओ, अलीराजपुर पर मुख्य रूप से निम्न 06 आरोप अधिरोपित किये गये :–

आरोप कमांक 01– मध्यप्रदेश भण्डार कय नियमों का पालन न करते हुए गैर अनाधिकृत संस्था से अवैधानिक रूप से रूपये 2,94,471/– की स्टेशनरी कय की गई।

आरोप कमांक 02– कलेक्टर द्वारा अनुमोदित दर सूची की तुलना में अत्यधिक दर पर अवैधानिक संस्था से स्टेशनरी सामग्री कय कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना एवं सहकारी मुद्रणालय, रतलाम को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया।

आरोप कमांक 03–स्टेशनरी कय प्रकिया से संबंधित अभिलेख इरादतन गायब करना एवं अभिलेखों की कूटरचना की गई।

आरोप कमांक 04– शासकीय भूमि पर अतिकमण को प्रोत्साहित करते हुए अवैधानिक तरीके से निर्माण कराया गया।

आरोप कमांक 05– राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यकम में प्रगति अत्यन्त कम होना पाई गई।

आरोप कमांक 06– आमजन के साथ संवेदनशीलता एवं समन्वय के साथ कार्य नहीं किया गया।

3/– डॉ. अनुसईया गवली, तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलीराजपुर द्वारा उन पर अधिरोपित उपर्युक्त आरोपों के बारे में संगत अभिलेख चाहे जाने पर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के पत्र दिनांक 20.02.14 के माध्यम से उन्हें चाहे गए अभिलेख उपलब्ध कराएं जाकर सात दिवस में उनसे प्रतिवाद उत्तर चाहा गया। डॉ. गवली द्वारा अपना प्रतिवाद उत्तर समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनके विरुद्ध अधिरोपित आरोपों की विस्तृत जांच हेतु आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के आदेश दिनांक 24.03.14 द्वारा अपर कलेक्टर, जिला अलीराजपुर को विभागीय जांचकर्ता अधिकारी तथा डिप्टी कलेक्टर, अलीराजपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाकर विधिवत् विभागीय जांच संस्थित की गई। तदुपरान्त जांच अधिकारी की नियुक्ति हो जाने पर डॉ. गवली द्वारा अपना प्रतिवाद उत्तर दिनांक 19.05.14 को प्रस्तुत किया गया।

4/– विभागीय जांच अधिकारी, अपर कलेक्टर, अलीराजपुर द्वारा जांच की कार्यवाही पूर्ण कर अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.03.15 के माध्यम से आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर को उपलब्ध कराया गया। आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के पत्र दिनांक 09.06.2015 द्वारा डॉ. गवली पर अधिरोपित आरोप कमांक 1, 2, एवं 5 को उनके परीक्षण में पूर्ण रूपेण प्रमाणित पाये जाने पर प्रकरण दीर्घ शास्ति का होने के कारण शासन को

...2.

उपलब्ध कराया गया। शासन पत्र दिनांक 01.08.2015 द्वारा उक्त जांच प्रतिवेदन पर अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन चाहे जाने पर अपचारी अधिकारी द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 28.08.2015 को उपलब्ध कराया गया। तदनुसार जांचकर्ता अधिकारी द्वारा आरोपवार की गई अनुशंसा एवं उस पर अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन में दर्शाई गयी स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित हुई है :–

आरोप कमांक 01– मध्यप्रदेश भण्डार कय नियमों का पालन न करते हुए गैर अनाधिकृत संस्था से अवैधानिक रूप से रूपये 2,94,471/– की स्टेशनरी कय की जाने संबधी आरोप में प्रतिवेदित है कि मध्यप्रदेश भण्डार कय नियम–14 के अनुसार कार्यालयीन उपयोग में आने वाली विविध सामग्री मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ से बिना निविदा बुलाए कय की जा सकती है, किन्तु डॉ. गवली द्वारा उक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अवैधानिक तरीके से, अवैधानिक संस्था "सहकारी मुद्रणालय, रतलाम" से सामग्री कय की गई है। सहकारी मुद्रणालय रतलाम से स्टेशनरी कय करने हेतु शासन की अधिकृत संस्था नहीं है। उक्त संस्था एक निजी संस्था है जिसमें कोई भी सामग्री बिना निविदा के कय नहीं की जा सकती। डॉ. गवली द्वारा अबैधानिक संस्था से स्टेशनरी कय की जाने संबंधी आरोप पूर्णतः प्रमाणित है।

डॉ. अनुसुईया गवली का अभ्यावेदन– उक्त आरोप के बारे में अपचारी अधिकारी ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 28.08.15 में स्पष्ट लेख किया है कि कलेक्टर द्वारा जो दरे नियत की थी उसके अनुरूप स्टेशनरी कय की गई है। मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग–1 के अध्याय–7 भण्डार के सहायक नियम 114 से 117 (1) लोक हितार्थ उपयोग में आने वाले भण्डार का कय परिशिष्ट–5 में दिये गये निर्देशानुसार आमंत्रित निविदा से अन्य विभाग द्वारा उनकी तुलनात्मक दर के अनुसार कय करने हेतु उक्त नियम एवं अन्य भण्डार कय नियमों में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इस आधार पर आरोप अस्वीकार किया गया है।

आरोप कमांक 02– डॉ. गवली पर अधिरोपित है कि कलेक्टर द्वारा अनुमोदित दर सूची की तुलना में अत्यधिक दर पर अवैधानिक संस्था से स्टेशनरी सामग्री कय कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना एवं सहकारी मुद्रणालय, रतलाम को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। इस संबंध में प्रतिवेदित है कि दिनांक 25.03.13 को कय आदेश जारी किया गया, जिसमें कुल 33 प्रकार की स्टेशनरी सामग्री का उल्लेख है। कलेक्टर, अलीराजपुर के आदेश दिनांक 26.07.12 द्वारा दरें अनुमोदित की गई । कय की गई सामग्रियों में से 13 सामग्रियों में कलेक्टर, अलीराजपुर द्वारा अनुमोदित दर से कहीं अधिक दर पर प्रायवेट मुद्रणालय से स्टेशनरी कय की गई । इस संबंध में कलेक्टर, अलीराजपुर ने अपने पत्र दिनांक 22.10.13 में स्पष्ट किया है कि निर्धारित दर से अधिक दर पर खरीदी गई सामग्री संबंधी आरोप आंशिक प्रमाणित है।

डॉ. अनुसुईया गवली का अभ्यावेदन– आरोप कमांक–01 के अनुरूप ही डॉ. गवली द्वारा आरोप कमांक–02 में भी वहीं स्थिति दर्शाई गई है।

आरोप कमांक 03– डॉ. गवली पर अधिरोपित है कि स्टेशनरी कय प्रकिया से संबंधित अभिलेख इरादतन गायब करना एवं अभिलेखों की कूटरचना की गई। जांच अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि विधि विरूद्ध ढंग से की गई कय प्रकिया की अनियमितताओं को छिपाने के लिए डॉ. गवली द्वारा अभिलेख गायव कराए गए है। इस प्रकार आरोप पूर्ण रूप से प्रमाणित होने की अनुशंसा की गई।

डॉ. अनुसुईया गवली का अभ्यावेदन– इस आरोप के बारे में डॉ. गवली द्वारा लेखापाल को दोषी बताया गया है। इसमें अभिलेख गायव होने एवं प्रविष्टियां नहीं करने के बारे में उनका दात्यिव न होने पर आरोप अस्वीकार किया गया हैं ।

आरोप कमांक 04– डॉ. गवली पर अधिरोपित है कि शासकीय भूमि पर अतिकमण को प्रोत्साहित करते हुए अवैधानिक तरीके से निर्माण कराया गया। डॉ. गवली द्वारा शासकीय जिला चिकित्सालय

....3...

की भूमि खसरा नम्बर 126 पर श्रीमती सावनी बाधेला स्टाफ नर्स को मकान निर्माण की सहमति दी। इस बारे में हुई शिकायत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सही पायी गयी। शासकीय भूमि पर निजी मकान निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया है। वर्तमान में उक्त मकान छत स्तर तक निर्माणाधीन है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई। इससे स्पष्ट है कि शासकीय भूमि खसरा नम्बर 126 पर श्रीमती सावनी बाधेला स्टाफ नर्स को मकान निर्माण की अनुमति दिये जाने संबंधी आरोप सिद्ध नहीं होने की अनुशंसा जांच अधिकारी द्वारा की है।

डॉ. अनुसुईया गवली का अभ्यावेदन– आरोप प्रमाणित नहीं होने पर कोई प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

4/– जांच अधिकारी ने आरोप कमांक 5 एवं 6 पर कोई अनुशंसा नहीं की गई। उपरोक्त से स्पष्ट है कि डॉ. गवली पर वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप होने पर उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की अनुशंसा भी की गई है।

5/– डॉ. अनुसईया गवली, तत्कालीन प्रभारी सीएमएचओ, अलीराजपुर की व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 30.6.16 को की गई । जिसमें डॉ. गवली द्वारा सहकारी विपणन संस्थाओं को प्रोत्साहन करने के निर्देशों में बिना टेन्डर कोटेशन के शासकीय कार्यालयों में आवश्यकता अनुसार खरीद सकने, सहकारी विपणन संस्था रतलाम का सहकारी मुद्रणालय रतलाम से रजिस्टेशन होना बताया गया। स्टेशनरी खत्म होने तथा डिमाण्ड होने से तथा बजट फिर न मिलने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर द्वारा प्रदाय करें, सभी कार्यालयों को जानकारी दी गई, लेकिन सीएमएचओ, अलीराजपुर को नहीं दी । कलेक्टर दर की जानकारी उन्हें नहीं थी, आवश्यकता एवं क्वालिटी को देखते हुए खरीदी गई थी। मध्यप्रदेश राज्य भण्डार क्रय नियम–14–ई के तहत क्रय कर सकते थे। इसमें कोई अनियमितता नहीं की है, जो आरोप लगायें है, वे निराधार होने से निरस्त करने तथा मन्थन–2007 एवं 20.11.14 को रिवीजन किया है कि गुमनाम शिकायतों पर कार्यवाही न की जाए। यह शिकायत भी गुमनाम थी और शिकायतकर्ता आया नहीं न कभी उसकी साक्ष्य ली गई। मानसिक प्रताडना के लिये से सब किया गया जो स्वीकार नहीं है। अधिरोपित आरोपों के बारे में केवल उन पर कार्यवाही की गई है जबकि अन्य की कोई जांच नहीं की गई।

6/– डॉ. अनुसईया गवली, तत्कालीन प्रभारी सीएमएचओ, अलीराजपुर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं समक्ष सुनवाई के दौरान बताई गयी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के समग्र परीक्षण उपरांत पाया गया कि डॉ. गवली आहरण एवं संवितरण अधिकारी थी और सामग्री क्रय करने के पूर्व उन्हें नियमों को देखना चाहिए था। डॉ. गवली द्वारा उक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अवैधानिक तरीके से अवैधानिक संस्था "सहकारी मुद्रणालय, रतलाम" से सामग्री क्रय की गई है। सहकारी मुद्रणालय, रतलाम स्टेशनरी क्रय करने हेतु शासन की अधिकृत संस्था नहीं है। उक्त संस्था एक निजी संस्था है, जिसमें कोई भी सामग्री बिना निविदा के क्रय नहीं की जा सकती। क्रय की गई सामग्रियों में से 13 सामग्रियों में कलेक्टर, अलीराजपुर द्वारा अनुमोदित दर से कहीं अधिक दर पर प्रायवेट मुद्रणालय से स्टेशनरी क्रय की गई ।

7/– इस संबंध में कलेक्टर, अलीराजपुर ने अपने पत्र दिनांक 22.10.13 में स्पष्ट किया है कि निर्धारित दर से अधिक दर पर खरीदी गई सामग्री का अंतर रूपये 2,94,471/– का ज्यादा भुगतान कर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई गई है। विधि विरूद्ध ढंग से की गई क्रय प्रकिया की अनियमितताओं को छिपाने के लिए डॉ. गवली द्वारा अभिलेख गायव कराए गए है। शासकीय भूमि खसरा नम्बर 126 पर श्रीमती सावनी बाधेला स्टाफ नर्स को मकान निर्माण की अनुमति दी जाना पूर्णतः प्रमाणित है। कलेक्टर दर से अधिक दर पर स्टेशनरी क्रय में रूपये 2,94,471/– डॉ. गवली से बसूली योग्य है। इसी प्रकार आरोप कमांक–2 के परीक्षण में कुल राशि रूपये 1,19,994/– से स्टेशनरी क्रय की गई जिसमें कलेक्टर दर अनुसार रूपये 45,592/– की लागत से स्टेशनरी क्रय होनी थी । इस प्रकार कलेक्टर दर से 38 प्रतिशत अधिक राशि से स्टेशनरी क्रय की गई फलस्वरुप रूपये 74,402/– की आर्थिक हानि शासन को पहुंचाई गई। इस प्रकार डॉ. गवली द्वारा कुल रूपये 3,68,873/– की आर्थिक क्षति शासन को पहुंचाई जाने पर उक्त राशि की वसूली उनके वेतन से करने एवं दीर्घ शास्ति के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने

.....4...

का प्रावधिक प्रशासकीय निर्णय लिया जाकर इस पर लोक सेवा आयोग की सहमति दिनांक 28.09.2017 को चाही गयी । जिसके अनुक्रम में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के ज्ञाप कमांक 15097/145/2017/जी.एस. दिनांक 16.01.2017 द्वारा आयोग की सहमति संसूचित की गयी है ।

8/— अतः राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. अनुसईया गवली, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शाजापुर (तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अलीराजपुर) की विभागीय जांच में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–10, मुख्य शास्ति के अन्तर्गत उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाने एवं शासन को पहुंचाई गई आर्थिक हानि रुपये 3,68,873/— (रुपये तीन लाख अड़सठ हजार आठ सौ तिहत्तर) मात्र की वसूली उनके वेतन से किये जाने की शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण समाप्त करता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता0

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 12–08/2018/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 8। अगस्त, 2018

प्रतिलिपि :–

1— विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. भोपाल।
2— निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3— आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र. भोपाल की ओर दण्डादेश का पालन करने एवं आदेश की एक प्रति डा. गवली की वर्तमान पदस्थापना में तामील कराने हेतु प्रेषित।
4— आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर (म.प्र.) ।
5— कलेक्टर, जिला–अलीराजपुर/शाजापुर (म.प्र.) ।
6— उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल की ओर जांच प्रकरण कमांक 250/17 के संदर्भ में।
7— क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, इन्दौर संभाग, इन्दौर/उज्जैन संभाग, उज्जैन।
8— उप संचालक (विज्ञप्त), संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर बेवसाइड पर प्रदर्शन हेतु।
9— अवर सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर की ओर उनके पत्र कमांक 15097/145/2017/जी.एस. दिनांक 16.01.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
10— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अलीराजपुर/शाजापुर ।
11— डॉ. अनुसईया गवली, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शाजापुर (तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अलीराजपुर), मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र कमांक 15097/145/2017/जी.एस. दिनांक 16.01.2018 की प्रति संलग्नक सहित द्वारा— आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12— गार्ड फाईल/स्थापना सहायक ।

A.N

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग